

ACM कलेक्टर
फर्द अहकाम

जयपुर बनाम चंडालाल

नाम न्यायालय

केस संख्या ५॥२५ १२

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	21 ² / ₂₅	पत्रावली पेश हुई। व. फ. उप. पत्रावली सार्विक आदेश..... अनुसार आगामी पेशी दिनांक..... 6/3/25..... को पेश हो
6 ³ / ₂₅		पत्रावली प्रस्तुत। वकील प्रार्थी उपस्थित। आज्ञा की ने आज भी जवाब पेश नहीं किया। आ. वो. पेशी पर जवाब पेश नहीं करते पर जवाब का इस्तेमाल कर समझा जावेगा। प्रार्थी संख्या 3, 6 व 7 आज भी उपस्थित हैं। आज बड़े विरुद्ध एक प्रतीप कार्यवाही की जाती है। पत्रावली वास्तु जवाब प्रस्तुत हेतु दिनांक 12 ³ / ₂₅ को पेश हो
	12 ³ / ₂₅	पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उप. प्रार्थी 1, 2 ने आज भी जवाब पेश नहीं किया है। जवाब बंद किया जाता है। पत्रावली वास्तु बंद दिनांक 26/3/25 को पेश हो
26 ³ / ₂₅		पत्रावली पेश हुई। डिजिटल एड वर एसो. के द्वारा प्रमाणित किए जाने से पत्रावली प्रमाणित दिनांक 2/4/25 को पेश हो
24 ⁴ / ₂₅		पत्रावली प्रस्तुत। व. फ. उप. जयपुर की अन्तिम पेश सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता के निर्देश किया कि प्रार्थी को पेश सिवाज के विरुद्ध मु. भ्या

सहायक कलेक्टर
 जयपुर


सहायक कलेक्टर
 जयपुर



फर्द अहकाम

7cm आर्मेड कुंजपुर
 मल्लिक बनाम - चन्दावती

24

ज्ञा या ही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	<p>बेचान करन चाहेत है। अतः वाप छाहुलपता के रोके एवं विवाहित आसपी के संरक्षण के लिए आदेश दिनांक 28-6-2024 को मूल वाद के विस्तारण तक स्वार्थे किपा जाता है। पजारवी फैसल सुना होना दायिल फलत है।</p> <p style="text-align: right;">  सहायक कलक्टर आर्मेड कुंजपुर </p>	